राजस्थान सरकार

निदेशालय कोष एवं लेखा, राज0 जयपुर

क्रमांक एफ4 (ई) द्वितीय एसीपी/90/अलेसे–III/13392-13400 दिनांक– 29/02/2012

**आदेश संख्या**– 267/2011-12

राज्य सरकार के आदेश क्रमांक प.11 (7) वित्त (नियम)/2008 दिनांक 12-09-08 एवं आदेश संख्या एफ 11 (7) वित्त (नियम) पार्ट–I/2008 दिनांक 06-10-2008 एवं राज्य सरकार के आदेश संख्या एफ 11 (7) एफ.डी./रूल्स/2008–I दिनांक 31-12-2009 के बिन्दु संख्या 7 (iii) के अनुसरण मे समान वेतनमान में की गई सेवा को जोड़कर उनके नाम के सामने अंकित कॉलम संख्या 4 में उल्लेखित दिनांक से 18 वर्ष की निरन्तर संतोषजनक सेवा पूर्ण करने पर कॉलम संख्या 6 मे अंकित दिनांक से कनिष्ठ लेखाकार के पद की द्वितीय आश्वासित कैरियर प्रगति (एसीपी) वेतन श्रृंखला पी.बी.–2 (9300–34800) ग्रेड पे 4200/– में स्वीकृत की जाती है–

| क्र. सं. | नाम कनिष्ठ लेखाकार सर्वश्री | मैरिट न0/बैच | तह0 राजस्व लेखाकार पद पर कार्यग्रहण तिथि | कनिष्ठ लेखाकार पद पर कार्यग्रहण तिथि | ए.सी.पी. स्वीकृति दिनांक | विशेष विवरण |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1- | भैरू राम | 413/90 | 05-08-1993 | 03-01-1994 | 05-08-2011 | |
| 2- | गिरधारी लाल | 440/90 | 05-08-1993 | 03-01-1994 | 05-08-2011 | |
| 3- | बद्री विशाल शर्मा | 449/90 | 02-09-1993 | 03-01-1994 | 02-09-2011 | |

उक्त कनिष्ठ लेखाकारो को वित्त विभाग के आदेश क्रमांक प0 14 (88) वित्त/नियम/2008 दिनांक 31-12-2009 मे दी हुई शर्तो के संबंध मे संतोषजनक सेवा संबंधी प्रमाण पत्र तथा सन्तान संबंधी घोषणा प्राप्ति के आधार पर आश्वासित कैरियर प्रगति (एसीपी) स्वीकृत की जाती है।

लगातार ..................

F:\SAS-III\Inder kumar\Mahendra Sir\m sinderji sir\18.doc - 106 -

क्रम संख्या 3 पर अंकित कनिष्ठ लेखाकारों के वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन नियमानुसार उपलब्ध नही होने पर वित्त विभाग (नियम अनुभाग) के मेमोरण्डम दिनांक 07-06-2011 के अनुसरण में उतने ही पिछले वर्षों के वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन की उपलब्धता के आधार पर द्वितीय आश्वासित कैरियर प्रगति इस शर्त पर स्वीकृत किया जाता है कि भविष्य में प्राप्त उक्त अवधि के वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन में प्रतिकूल प्रविष्टि होने पर प्रकरण पुनः खोला जावेगा तथा वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन के आधार पर द्वितीय आश्वासित कैरियर प्रगति के बारे में निर्णय लिया जाकर तदनुसार संशोधित कर दिया जावेगा।

उपर्युक्त कनिष्ठ लेखाकारों का वेतन निर्धारण वित्त विभाग के उक्त आदेश दिनांक 12-09-08 के पैरा 19 के अनुसार संबंधित कार्यालयाध्यक्ष द्वारा निर्धारित किया जावेगा। वेतन निर्धारण से पूर्व कार्यालध्यक्ष द्वारा यह सुनिश्चित किया जावें कि संबंधित कर्मचारी संशोधित वेतनमान 2008 में वेतन प्राप्त कर रहा है। इस स्वीकृति व वेतन निर्धारण की प्रविष्टि आवश्यकरूप से संबंधित कनिष्ठ लेखाकार की सेवा पुस्तिका में की जावे।

निदेशक

क्रमांक एफ4(ई) द्वितीय एसीपी/90/अलेसे–III/ 13392 – 13400 दिनांक– 29/02/2012

<u>प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–</u>

1- विभागाध्यक्ष/कार्यालध्यक्ष ............................................................

2- श्री ............................................ कनिष्ठ लेखाकार, कार्यालय ......................................

3- निजी सहायक निदेशक, महोदय।

4- गोपनीय शाखा को प्रेषित कर लेख है कि उक्त कनिष्ठ लेखाकार के भविष्य में वार्षिक मूल्यांकन प्रतिवेदन प्राप्त होने पर कोई प्रतिकूल प्रविष्टि प्राप्त होती है, तो उनके प्रकरण को पुनः खोले जाने के प्रस्ताव इस शाखा को प्रेषित करें।

5- निजी/गार्ड फाईल/कम्प्यूटर (वेबसाईट हेतु)

संयुक्त निदेशक {कार्मिक–II}